निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 05 वर्ष 217-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, केदारनाथ (अगत्सयमुनि) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, केदारनाथ (अगत्सयमुनि) के माह 03/2016 से 05/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों तथा श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07/06/2017 से 16/06/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एस.एस. दरियाल एवं श्री अशोक कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 08/03/2016 से 16/03/2016 तक श्री वी.एस. पवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2014 से 02/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 05/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः सम्पूर्ण केदारनाथ क्षेत्र।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15			149391098	144742591	20220000	19047110		
2015-16			270735734	270351269	20162000	19592741		
2016-17			75916438	61917431	21525000	20352110		

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय (+) `	बचत (-) `
2014-15	CSSR	-	94177000	-	716.00
2015-16	CSSR	-	229104000	-	1000.00
2016-17	CSSR	-	42330000	-	6.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव

प्रमुख अ भयन्ता

मुख्य अ भयन्ता-2 (श्रीनगर)

अधीक्षण अ भयन्ता (रूद्रप्रयाग)

अ धशासी अ भयन्ता

सहायक अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, केदारनाथ (अगत्सयमुनि) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, केदारनाथ (अगत्सयमुनि) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। कयाजा, जुआ, मरवाड़ी, प्रेमनगर का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 04/03/2015 से 25/02/2016 का निरीक्षण कया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तथा 09/2016 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 05/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` शून्य

   भाग द् वतीय ` शून्य
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..... के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - शून्य

   (ख) सामग्री क्रय - शून्य

   (ग) नगद परिशोधन - शून्य

   (घ) निक्षेप- 1,45,99,000/-

   (ङ) भण्डार- शून्य

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-2(ब)

प्रस्तर -1 अनिय मत कार्य पर व्यय 688.44 लाख।

जनपद रूद्रप्रयाग के देवनगर, वजयनगर, अजयपुर रूद्रप्रयाग बाजार एवं मयाली बाजार में बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु शासन द्वारा संयुक्त रूप से 878.93 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति माह मई 2014 में प्रदान की गयी थी एवं वस्तृत आगणन पर प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (गढ़वाल) द्वारा उतनी ही रा श की माह दिसम्बर 2014 में प्रदान की गयी थी। उपरोक्त स्वीकृति में से संचाई खण्ड अगस्तमुनि द्वारा देवनगर- वजयनगर का मन्दाकनी नदी से कटान सुरक्षआ योजना (574.28 लाख) एवं अजयपुर गांव की क्यूजा गाड से कटाव सुरक्षा योजना 110.84 अर्थात कुल 685.12 लाख के कार्य निष्पादित कए गए थे।

खण्ड की लेखापरीक्षा माह (जून 2017) में पाया गया क खण्ड द्वारा प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त कए बिना ही अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था कुल 50 अनुबंध उपरोक्त कार्य हेतु गठित कए गए थे जिसमें से 15 अनुबंध (अनुबंध संख्या 49/EE-2014-15, 43/EE, 45/EE, 42/EE, 41/EE, 44/EE, 53/EE, 51/EE, 34,35,36/EE, 55/EE, 54/EE, 09/EE, 39/EE) माह मई 2014 से माह जून 2014 के मध्य गठित कए थे जब क तब तक प्रा व धक स्वीकृति अप्राप्त थी। वत्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI के अनुच्छेद 318 में स्पष्ट उल्ले खत है क कार्य प्रारम्भ कए जाने से पूर्व सक्षम अ धकारी से वस्तृत आगणन स्वीकृत कराना आवश्यक है अर्थात प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए कन्तु खण्ड द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं कया गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया क यद्य प खण्ड को वत्तीय एवं प्रा व धक स्वीकृति एक मुस्त प्रदान की गयी थी कन्तु खण्ड द्वारा उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु कार्य को 50 छोटे-छोटे टुकड़ों में वभाजित कर अनुबंध गठित कए गए जिनकी संयुक्त लागत 714.41 लाख थी एवं उन पर कुल 684.44 लाख का भुगतान कया गया था।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खण्डीय आरम्भ में स्वीकार कया गया क आपदा के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रकरण उच्च स्तर को प्रे षत कर, कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। कार्य को टुकड़ों में वभाजित करने की ओर इं गत करने पर बतलाया गया क दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र होने, कार्यों को त्वरित निष्पादन, रोजगार इत्यादि के दृष्टिगत कार्यों को व भन्न चैनेलों में वभक्त कर वत्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 369 का अनुपालन कर अनुबंध गठित कए गए खण्ड का उत्तर वास्त वकता से परे था क्यों क यद्य प प्रस्तर 369 कई ठेकेदारों को एक ही कार्य वभाजित कर अलग-अलग अनुबंध गठित करने की अनुमति देता है कन्तु यह भी अनुमति नहीं देता क एक ही कार्य के अन्तर्गत एक ठेकेदार के साथ एक से ज्यादा अनुबंध गठित कए जाए, साथ ही एक अनुबंध के चलते हुए एक से ज्यादा अनुबंध एक ही सयम में एक ठेकेदार के साथ गठित न कया जाए कन्तु खण्ड द्वारा उपरोक्त नियमों की अवहेलना कार ठेकेदारों रमेश सजवाण, श्रीभुपाल भंडारी के साथ एक से ज्यादा अनुबंध एक ही समय में गठित कए गए साथ ही कुल 50 अनुबंध मात्र 32 ठेकेदारों के साथ गठित कए गए, जिसमें रोजगार प्रदान करने का दावा भी मान्य नहीं था।

अतः वत्तीय नियमों की अवहेलना कर अनिय मत कार्य 684.44 का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -1 अनुबंधों के गठन में वत्तीय नियमावली का पालन न कया जाना।

As per the financial handbook Volume-VI clauses: 375-(a) It is a fundamental rule that no work shall be commenced unless a properly detailed design and estimate have been sanctioned, allotment of funds made, and orders for its commencement issued by competent authority. Permission granted by the Government in order on budget estimate, for the retention of an entry of proposed expenditure during the year on a work, conveys no authority for the commencement of outlay.

379- The authority granted by a sanction to an estimate must on all occasions be looked upon as strictly limited by the precise objects for which the s=estimate was intended to provide. Accordingly, any anticipated or actual savings on a sanctioned estimate for a definite project should not, without special authority, be applied to carry out additional work, not contemplated in the original project or fairly contingent on its actual execution.

उत्तराखण्ड शासन द्वारा केन्द्रपो षत नि ध के अंतर्गत (सी.एस.एस.आर.) के अंतर्गत अंगस्स्यमुनि वकास क्षेत्र के जवाहरनगर, गंगानहर, बेडुबगड़ एवं सोड़ी बाजार की मंदा कनी नदी से बाढ़ सुरक्षा हेतु 870.19 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मई 2014) जिसकी प्रा व धक स्वीकृति उक्त धनरा श हेतु ही प्रदान की गयी (दिसम्बर 2014)। कार्य के निष्पादन हेतु कुल 16 अनुबंध (संलग्नकनुसार) मार्च 2014 से अक्टूबर 2015 के मध्य 834.19 लाख हेतु गठित कए गए जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की ति थ मई 2014 से दिसम्बर 2016 तक थी।

अ धशासी अ भयंता संचाई खण्ड, केदारनाथ के अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा उपरोक्त 16 अनुबंधों में से 10 अनुबंध (26,27,28,34,35,36,37,38,39 & 40 ÆE/2013-14), जिनकी अनुबन्धित लागत 193.81 लाख थी, का गठन न केवल प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति (मई 2014) से दो माह एवं प्रा व धक स्वीकृति (दिसम्बर 2014) से 10 माह पूर्व तथा एक अनुबंध 05ÆE/2014-15 (अनुबं धत लागत 631.35 लाख) का गठन

प्रा व धक स्वीकृति से 07 माह पूर्व कया गया था अ पतु अनुबंध सं. 05/SE के अंतर्गत अनुबं धत लागत से 25.24 लाख अ धक भुगतान (657.19 लाख) कर अनुबंध का अंतिमीकरण मार्च 2016 में (अनुबंध में निर्धारित कार्य समाप्ति माह फरवरी 2015 के 13 माह बाद) कया गया था जब क अनुबंध सं. 50/एई/2013-14 का अंतिमीकरण वर्तमान तक नहीं कया गया था।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बतया गया क वर्ष 2013-14 में आई भीषण आपदा के उपरांत उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत तत्काल सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने आवश्यक थे एवं जिसका आगणन भेजते हुये स्वीकृति की प्रत्याशा में अति आवश्यक कार्य हेतु अनुबंध गठित कए गए।

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क वत्तीय हस्त पुस्तिका वाल्यूम- VI के Clause – 3758325 के अनुसार कार्य कराये जाने के पूर्व प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा प्रा व धक स्वीकृति ली जानी आवश्यक थी।

अतः खण्ड द्वारा अनुबंधों के गठन में वत्तीय नियमावली का पालन न कए जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -**2** वस्तृत आकलन के अनुसार अनुबंध गठित न करना 2,04,049/- का अनिय मत व्यय।

जनपद रूद्रप्रयाग के कमाना जुआ भटवाड़ी प्रेमनगर मंगोली चुन्नी करोड़ा राऊलैक गांव की स्थानीय गदेरों एवं भैंसारी गांव की मन्दा कनी नदी से कटाव सुरक्षा योजना

पर 912.71 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत माह मई 2014 एवं तकनीकी स्वीकृत दिनांक 08.12.2014 को प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य से संबंधत प्राकलन में योजना को तीन उपयोजनाओं में बांटते हुए कार्य कमाणा जुआ भटवाड़ी प्रेमनगर मंगोली चुन्नी एवं करोड़ा गांव की स्थानीय गदेरों के कटाव सुरक्षा योजना 620.03 लाख की धनराश का प्रावधान था जिस में से चुन्नी गांव के स्थानीय गदेरों के कटाव सुरक्षा कार्य हेतु 149.25 लाख का प्रावधान था। प्राक्कलन में 149.25 लाख की धनराश का Detailed Estimate निम्न प्रकार का प्रावधान थाः

1. Construction of 3.4m High Banded Returning Wall, 553 Meter @ ₹ 19978/M
2. C.C. Block of Size 3x1.5x1.5M, 184 No @ ₹ 36096/Block
3. Contingency @ 2%

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क इकाई द्वारा सम्पूर्ण योजना को छोटे-छोटे टुकड़ों में वभाजित करते हुए कुल 136 अनुबंध गठित करने के साथ-साथ 37 अनुबंध TS प्राप्त करने यानि दिनांक 08/12/2014 से पूर्व ही गठित कए गये थे साथ ही इकाई द्वारा चुन्नी गांव के स्थानीय गदेरों के कटाव सुरक्षा कार्य हेतु ठेकेदारों के साथ गठित अनुबंधों में P.V.C Pipe 100 mm Dia including Cost of all labour material T&P etc completion of work @ ₹ 200/- per running meter का प्रावधान करते हुए अनुबंध गठित कये गये जबक वस्तृत आकलन में उक्त कार्य हेतु P.V.C. Pipe का कोई भी प्रावधान नहीं था। इस कारण P.V.C. Pipe पर 2,04,045/- का अनियमत व्यय कया गया।

इकाई को इंगत करने पर इकाई द्वारा उत्तर में अवगत कराया क वर्ष 2013-14 में आई भीषण आपदा के उपरान्त उत्तपन्न स्थिति के दृष्टिगत कार्यों को अवलंब सम्पन्न कराया जाना आवश्यक था अतः वत्तीय स्वीकृति के उपरान्त प्रावधक स्वीकृत का प्रकरण भेजते हुए इसकी प्रत्याशा में अनुबंध गठित कर कार्य प्रारम्भ कराये गये साथ ही यह भी अवगत कराया गया क Detail Estimate में जो क जनपद रूद्रप्रयाग के ऊखीमठ वकास खण्ड में कमाणा जुआ भखाड़ी, प्रेमनगर मंगोली, चुन्नी राऊलेक करोड़ा गांव के स्थानीय गदेरों एवं भैसारी गांव श्री मन्दाकनी नदी से बाढ़ सुरक्षा का प्राक्कलन जिसकी

लागत 912.71 लाख है, में स्वीकृत है जिसमें अन्य मदों के साथ-साथ P.V.C. Pipe का Rate भी प्राक्कलन में सम्मि लत है। एवं कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार पानी की निकासी हेतु P.V.C. Pipe का प्रावधान कया जाना आवश्यक है एवं उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धन की आवश्यकता भी नहीं हुई एवं स्वीकृत योजना के अन्तर्गत ही कार्य पूर्ण कराये गये।

लेखापरीक्षा को इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क प्रा व धक स्वीकृति (TS) प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुबंध गठित कर कार्य का निष्पादन कया जाना था एवं यदि P.V.C. Pipe की आवश्यकता थी तो अनुबंध गठित करने से पूर्व पुनरी क्षत आगणन तैयार कर स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त ही अनुबंध गठित करने थे।

अतः इकाई द्वारा वस्तृत आकलन के वपरीत अनुबंध गठित कर 2,04,049/- का अनिय मत व्यय करने एवं 37 अनुबंधों को TS प्राप्ति से पूर्व में ही गठित करने के प्रकरण को उच्च अ धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
ECO/AIR/120/2015-16	-	2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, केदारनाथ (अगत्सयमुनि) तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री हरीशचन्द्र संह भारती ,	अ धशासी अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

(i) श्री आलोक कुमार

(ii) श्री रघुवीर संह राणा

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, केदारनाथ (अगत्सयमुनि) को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकारआ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड,इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II